न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 243/2023 (600/2017)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पानीदेवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश माली		1. खेमसिंह उर्फ हुकमसिंह गोदपुत्र गोबरराम
2. विरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. ओमप्रकाश		2. गणपत पुत्र फरसाराम
3. मंदनसिंह पुत्र स्व. ओमप्रकाश निवासीगण– बालसमन्द, मण्डोर जोधपुर।		3. बिरमसिंह पुत्र अचलूराम माली निवासीगण–नयाबास बालसमन्द, मण्डोर जोधपुर।
4. श्रीमती रेखा पुत्री स्व.ओमप्रकाश पत्नी राजेन्द्रसिंह माली निवासी– लालसागर नयापुरा, मण्डोर, जोधपुर।		4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2016 जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 26/20216 अनवान पानीदेवी वगैराह बनाम खेमसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश राठी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हरिसिंह कच्छवाह अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से
4. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 08 अप्रेल, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है ग्राम मण्डोर प्रथम के ख0सं0 1407 रकबा 4 बिस्वा, ख0सं0 1408 रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा कुल 18 बीघा 06 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 1 के पति व पिता ओमप्रकाश तथा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ, पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज है। ओमप्रकाश के तीन पुत्र विरेन्द्रसिंह, मदनसिंह व खेमसिंह व एक पुत्री रेखा हुई। रेस्पो0 संख्या एक बाल्यवस्था से ही गोबरजी व उनकी पत्नी के गोद चला गया जिसकी कोई लिखा पढी नहीं है जिसकी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सहमति अपीलान्ट संख्या एक ने दी थी जिस पर गोबरराम एवं उनकी पत्नी ओमदेवी एक वसीयतनामा दिनांक 6.6.1991 को लिखकर रेस्पो0 संख्या एक को अपना वारिस माना। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपना घर छोड दिया व जायन्दा पिता के अधिकारों को छोडते हुए अपने अधिकार समाप्त कर श्री गोबरजी का पुत्र मानता है तथा विभिन्न दस्तावेजों में उनका पुत्र अंकित किया है। वादग्रस्त भूमि में श्री ओमप्रकाश का 1/4 हिस्सा है और ओमप्रकाश का दिनांक 8.10.2011 को देहान्त होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम उत्तराधिकार नामा0 पारित किया जाना था जिस हेतु अपीलान्टस द्वारा दिनांक 18.4.12 को तहसीलदार के समक्ष दस्तावेज पेश किये परन्तु बिना जॉच पडताल किये ही फौतेदगी नामा0 में खेमसिंह का नाम भी साथ में दर्ज कर स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 6.12.2016 को खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय दिनांक 18.01.2017 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्टस का वर्तमान में भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त अपने पिता के समय से चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या एक जो गोबरजी के गोद चला गया उसके बावजूद ओमप्रकाश जी के फौतेदगी नामा0 में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जबकि एक बार गोद जाने पर रेस्पो0 सं0 एक को ओमप्रकाश के हिस्से में कोई अधिकार नहीं रहते है। पटवारी हल्का व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों के जॉच किये बिना और पूछताछ किये बिना ही नामा0 संख्या 2486 दिनांक 18.7.2012 स्वीकृत कर दिया जिसे पारित करने में कानूनी भूल कारित की है। रेस्पो0 सं0 एक का विवाह दिनांक 5.5.93 को हुआ जिसकी पत्रिका में हुकमसिंह उर्फ खेमसिंह पुत्र गोबरराम लिखा गया। खेमसिंह के साथ रेखा का विवाह हुआ था। उक्त पत्रिका में दोनों के पिता का ना अलग–अलग अंकित किया जिससे स्पष्ट हो जाता है कि खेमसिंह गोबर के साथ में ही पुत्र बनकर रह रहा है। खेमसिंह ने बदनियती से जमीन हडपने की नियत से दुबारा अपना नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया है। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा राशनकार्ड में, विधानसभा निर्वाचन नामावली, लोकसभा निर्वाचन नामावली, बैंक खाता, आयकर पैन कार्ड, वसीयतनामें इत्यादि में खेमसिंह के पिता का नाम गोबरजी व माता

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ओमीदेवी दर्ज करवाया गया है। तहसीलदार को ऐसे प्रकरणों में राज0 भू राजस्व अधिनियम के नियम 133 व 135 की पालना की जानी आवश्यक थी जो अपीलार्थीगण की ओर से फौतेदगी नामा0 दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के बावजूद नहीं की गई और न ही ओमप्रकाश के विधिक वारिसान की जॉच की और न ही लीगत उत्तराधिकारियों के कोई पूछताछ की गई और रेस्पो0 संख्या एक के गोद जाने की उनके गोबरजी के पुत्र होने सम्बन्धी इत्यादि दस्तावेजों की कोई जॉच की गई, रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए अपीलाधीन नामा0 में अपीलान्टस के साथ ओमप्रकाश का पुत्र बताकर अपना नाम भी जुडवा दिया गया जो काबिल निरस्ती के है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामें की इबारत से भी स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पो0 संख्या एक को वे अपना पुत्र मानते है तथा गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी बातों को अनदेखा किया गया अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.12.2016 एवं नामा0 संख्या 2486 दिनांक 18.7.2012 को निरस्त किया जावे एवं स्व0 ओमप्रकाश पुत्र अचलराम के हिस्से वाली सम्पति में अपीलान्टस का नाम ही दर्ज करते हुए नामा0 स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ओमप्रकाश एवं पानीदेवी का पुत्र है जो आज तक गोबरजी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के गोद गया ही नहीं है। अपीलार्थीगण ने विधि विरूद्ध तरीके से येनकेन प्रकारेन से मिथ्या कथन दर्ज करते आ रहे है और स्व. ओमप्रकाश की जायदाद में से अलग करने के आशय से उक्त कार्यवाही की गई जिसकी जानकारी होने मुझ रेस्पो0 संख्या एक को होने पर राजस्व अधिकारियों के समक्ष गया और जानकारी से अवगत कराया गया। अपीलार्थीगण के द्वारा बाले–बाले ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना अपना ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश कर दिया था। तब तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से स्व. ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में जॉच की गई। जॉच में यह तथ्य सामने आया कि अपीलान्टस के साथ रेस्पो0 संख्या एक भी उनका पुत्र है जिसके आधार पर ही तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन नामा0 समस्त वारिसान के नाम खोला जाकर स्वीकृत किया गया है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उल्लेखित वसीयतनामें में भी मुझ खेमसिंह को ओमप्रकाश जी का पुत्र होना दर्शाया है जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 संख्या एक ओमप्रकाश का पुत्र है, न कि गोबरजी व ओमीदेवी का। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक द्वारा आधारकार्ड, नगरनिगम की रसीद, मूल निवास प्रमाण पत्र, रसद विभाग का परिवार कार्ड, किराणा व्यापार हेतु जारी लाईसेन्स, ओमप्रकाश के देहान्त उपरान्त प्रकाशित शोकसन्देश, निर्वाचन विभाग के जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमण पत्र परिवारकार्ड इत्यादि सभी में रेस्पो0 संख्या एक को ओमप्रकाश का पुत्र अंकित किया हुआ है। मात्र गोद चले जाने से उसके पैतृक पिता की सम्पति में हक अधिकार खत्म नहीं किये जा सकते है। और गोदनामा सम्बन्धी विवाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा इस नामान्तरकरण सम्बन्धी फिसकल कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से सहायक जिलाधीश जोधपुर के न्यायालय में बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किये राजस्व वाद में दिनांक 17.2.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है एवं दोनों पक्षकारान इस हेतु पाबन्द है। ऐसे में चूंकि सक्षम न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य वास्तविक विवाद के निर्धारण हेतु नियमित वाद लम्बित है तो जहॉ पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण होना तो ऐसी स्थिति में नामा0 अपील में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया ही नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में अलग–अलग विवादों के निस्तारण हेतु कार्यवाही हो रखी है तो ऐसे में मात्र नामान्तरकरण की कार्यवाही को निरस्त कर दिये जाने से विवाद और बढेगा। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एवं अन्य न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेज अवलोकनार्थ पेश किये।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पिता श्री ओमप्रकाश के देहान्त होने पर उनके फौतेदगी नामा0 संख्या 2486 ग्राम मण्डोर में पटवारी हल्का के द्वारा मृतक ओमप्रकाश के सभी वारिसान की जॉचं करने के उपरान्त अपीलान्टस व रेस्पो0 संख्या एक का नाम दर्ज करते हुए पेश किया गया जिसे तहसीलदार जोधपुर के द्वारा दिनांक 18.7.2012 को स्वीकृत किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त नामा0 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्टस की प्रथम अपील को अस्वीकार किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। उल्लेखित नामा0 को निरस्त करवाये के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण की मुख्य आपत्ति यह रही है कि रेस्पो0 संख्या एक गोबर जी व ओमीदेवी के गोद गया हुआ होने से उसे पैतृक सम्पति में से किसी प्रकार का हक–हिस्सा नहीं दिया जा सकता है और खेमसिंह के पक्ष में गोबरजी व ओमीदेवी के द्वारा एक वसीयत भी निष्पादित की गई है जिसके आधार पर भी वह पैतृक सम्पति में कोई हक–अधिकार नहीं रखता है। किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के गोद पुत्र बन जाने अथवा चले जाने से पैतृक सम्पति में उसका हक–हिस्सा समाप्त होना नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसे कोई विधिक प्रावधान किसी कानून के तहत निर्धारित किये गये है। नामा0 प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिससे किसी के हक–अधिकार तय नहीं किये जा सकते और न ही किसी के हक–अधिकार समाप्त किये जा सकते है। गोदनामा एवं वसीयत सम्बन्धी जटिल सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण केवल मात्र सिविल न्यायालय ही किया जा सकता है। तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने में किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधानिकता नहीं की गई है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया है, उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुजांइश नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जोधपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज 08 अप्रेल, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर